संख्या–10/2021/369/78-1-2021-53आई0टी0/2015

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ परिसर में स्थापनाधीन 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन मेडीइलेक्ट्रानिक्स एण्ड हेल्थ इन्फार्मेटिक्स' के लिए पूंजीगत व्ययों हेतु आर्थिक सहायता तथा स्टार्टअप्स को विपणन/व्यावसायीकरण सहायता प्रदान किए जाने हेतु धनराशि रू0 67.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- यूपीएलसी:आईसीपी: 9064 (2020-21)/310, दिनांक 12-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसजीपीजीआई लखनऊ परिसर में स्थापनाधीन 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन मेडीइलेक्ट्रानिक्स एण्ड हेल्थ इन्फार्मेटिक्स' के लिए पूंजीगत व्ययों हेतु आर्थिक सहायता तथा स्टार्टअप्स को विपणन/व्यावसायीकरण सहायता प्रदान किए जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 561.516 लाख (रू0 पॉच करोड, इक्सठ लाख, इक्यावन हजार, छ: सौ मात्र) के सापेक्ष रू0 67.80 लाख (रूपये सरसठ लाख, अस्सी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) धनराशि से संबंधित आंकडों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(9) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-17-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी मद" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6/177-दस-2021, दिनांक 15-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या-10/2021/369(1)/78-1-2021 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
11- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in